46   म/निग0/रीवा/2017/4743

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर उपखण्ड पीठ रीवा, जिला - रीवा॥ म0प्र0॥

1- राम प्रकाश तनय राजराम विश्वकर्मा,

Rs 30/-

2- लालबहादुर पिता राजराम, विश्वकर्मा,

दोनो निवासी ग्राम बड़ागॉव, तहसील सेमरिया, जिला -रीवा म0प्र0

------- आवेदक गण

बनाम

1- शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष जिला -रीवा म0प्र0

2- अहिबरण सिंह तनय इन्द्रभान सिंह, निवासी कोटा, तहसील सेमरिया, जिला -रीवाम0प्र0 --- अनावेदकगण

अधि० श्री एम. एन. मिश्रा
द्वारा पेश। 28.11.17

कापी आफ कोर्ट
राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

सीमांकन विरुद्ध राजस्व निरिक्षक वृत्त सेमरिया तह0 सेमरिया जिला रीवा का प्र0क्र0 86अ12/2016-2017 आदेश दि. 20-6-12 को किया जिसके विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत कीजा रही है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 ई0।

महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य

यह कि आवेदक गण दोनो सगे भाई है, दिनाक 29-12-15 को आवेदकगण ने रामनिवास सिंह तनय इन्द्रभान सिंह के द्वारा दिनाक 29-12-15 को आराजी नम्बर 908/2 रकबा 0.057 हे0, का जुज रकबा 0.012 हे0 तथा आ0 न0 908/3, रकबा 0.110 हे0, किता 2 का कुल रकबा 0.122 हे0 जिसका दोनो का कुलरकबा 0.39 ए0 स्थित ग्राम कोटा, तहसील सेमरिया, जिला -रीवा मे स्थित है, जिसकी

2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2017 / 4743

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-03-2018	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 86 अ–12 / 2016–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20–6–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को के परिप्रेक्ष्य में राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया अंतरिम आदेश दिनांक 20–6–17 के अवलोकन से परिलक्षित है अनावेदक क–2 व्दारा उसके स्वामित्व की ग्राम कोटा स्थित आराजी कमांक 908 / 3 ख एंव 908 / 4 के सीमांकन का आवेदन दिया गया था जिस पर से इस आदेश व्दारा राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण पॅजीबद्व करते हुये पटवारी हलका को सीमांकन करने के आदेश जारी करने का निर्णय लिया है। ग्राम कोटा की आराजी कमांक 908 / 3 ख एंव 908 / 4 अनावेदक क–2 के स्वामित्व की भूमि है जिसका वह सीमांकन कराना चाहता है। अनावेदक क–2 के सीमांकन आवेदन आने पर राजस्व निरीक्षक व्दारा प्र0क0 86 अ–12 / 2016–17 पॅजीबद्व करके पटवारी हलका को सीमांकन के निर्देश जारी करने हेतु लिये गये निर्णय से आवेदकगण क्यों दुखी है? आवेदकगण के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके, जिसके कारण निगरानी प्रचलन–योग्य नहीं है। विचाराधीन निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	